Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

प्लेटो का न्याय का सिद्धांत व आधुनिक न्याय व्यवस्था

डॉ. अजय कुमार
एसोसिएट प्रोफ़ेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, गुरुनानक खालसा कॉलेज, करनाल।

प्लेटो, जिसे राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है, ने राजनीतिक दर्शन और उसके संदर्भ में विभिन्न शिक्षा शास्त्रों पर विस्तृत रूप से अपने विचार रखे और विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किए। उसके द्वारा दिए गए विभिन्न विश्लेषणात्मक विचारों में ही एक विचार उनके द्वारा उनकी पुस्तक 'रिपब्लिक' में दिया गया 'न्याय का सिद्धांत' है। उन्होंने न्याय के सिद्धांत पर इतना बल दिया कि उनकी पुस्तक 'रिपब्लिक' का नाम 'न्याय से सम्बन्धित' (Conerning Justice) रखा गया।[1] प्लेटो न्याय की व्यवस्था को अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानते हुए उसके द्वारा राज्य को सक्षम, व्यवस्थित, स्थिर और अनुशासित बनाना चाहते थे। वो अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत के माध्यम से भी आदर्श न्याय व्यवस्था ही और आदर्श न्याय व्यवस्था के माध्यम से आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। वो अपने न्याय के सिद्धांत में योग्यता आधारित कार्यों के विशिष्टीकरण की व्याख्या करके समाज में दक्षता पर बल दे रहे थे। प्लेटो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अन्वेशण करना चाहता था जो एक आदर्श समाज की रचना कर सके, एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण कर सके जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समूह को अपनी प्राकृतिक क्षमता तथा उपार्जित योग्यता के आधार पर अधिक से अधिक विकास करने का समुचित अवसर प्राप्त हो सके, साथ ही वह अपने अन्य साथियों को समुचित विकास में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न करे।[2]

प्लेटो ने न्याय की धारणा को इतना अधिक महत्त्व दिया कि बार्कर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार रहा है।[3] प्लेटो न्याय शब्द का अर्थ विस्तृत रूप से लेते हैं। इसी आधुनिक न्याय से ज्यादा विस्तार से समझा जा सकता है। प्लेटो न्याय में सही अर्थों में सामाजिक समायोजन और नैतिकता को समझ रहे होते हैं। प्लेटो का न्याय वर्तमान इंग्लिश के Justice से काफी अलग है जैसा कि एम.बी. फोस्टर ने कहा है कि "न्याय शब्द ग्रीक शब्द डिकैयोसीन (Dikaiosyne) का अनुवाद है। इस डिकैयोसीन शब्द का क्षेत्र अँग्रेजी के जस्टिस शब्द से अधिक व्यापक है। हम न्याय तथा अन्याय शब्द को मुख्यतः न्याय सम्बन्धी तथा प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन में दृष्टिगोचर होने वाले गुण के रूप में मानते हैं लेकिन प्लेटो के लिए न्याय शब्द का लगभग वह अर्थ है जो हम नैतिकता (Morality) शब्द से समझते हैं। यह वह है जो मनुष्य को अपनी इच्छा या तथाकथित हित के अनुसार न्याय करने से इस वि वास के अनुशासन से रोकती

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।"[4] जैसा कि बार्कर ने भी कहा कि "प्लेटो का न्याय एक कानूनी विषय नहीं है न ही यह कानूनी अधिकारों एवं कर्त्तव्यों की बाहरी योजना से सम्बन्धित है। इसका सम्बन्ध कानूनी क्षेत्र से न होकर सामाजिक नैतिकता से है।"[5] वास्तव में प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत के माध्यम से चाहता है कि व्यक्ति को उन कार्यों को स्वयं से ही करना चाहिए जो समाज के सम्पूर्ण विकास के लिए जरूरी है। प्लेटो की सोच ये दर्शाती है कि समाज व राज्य के द्वारा व्यक्ति की योग्यता अनुसार उसके लिए जो कार्य निश्चित किए जाएं उनका व्यक्ति के द्वारा पालन किया जाना चाहिए ताकि समाज व राज्य में अनुशासन बना रह सके। प्लेटो अपना न्याय का सिद्धांत देते समय यह भी ध्यान रखता है कि उस समय न्याय के सिद्धांत कहाँ तक उचित या अनुचित हैं। वो अपने समय में प्रचलित न्याय के सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करते व विश्लेषण करते हुए उन्हें मनुष्य व समाज के पूर्ण विकास के लिए उचित नहीं मानता। प्लेटो ने अपने समय में प्रचलित जिन सिद्धांतों का खण्डन किया वो इस प्रकार हैं। सिफेलस का 'परम्परावादी सिद्धांत' जिसके माध्यम से सिफेलस प्राचीन व्यापारिक नैतिकता को महत्त्व देता है। सिफेलस कहता है कि "सत्य बोलना और अपना कर्जा चुकाना न्याय है।"[6]

इसी प्रकार उसके पुत्र पोलीमार्कस न्याय की परम्परावादी धारणा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि "न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उनके लिए उचित है।"[7] प्लेटो न्याय की इस परम्परावादी धारणा का खंडन करते हुए कहते हैं कि न्याय को सिर्फ न्यक्तिगत सम्बन्ध बना देना उचित नहीं है यह एक सामाजिक दायित्व भी है। उस समय प्रचलित न्याय का दूसरा सिद्धांत थ्रेसीमेकस (Thrasymachus) का उग्रवादी वैचारिक न्याय का सिद्धांत था जिसमें थ्रेसीमेकस कहते हैं कि "शक्तिशाली का हित ही न्याय है।"[8] यहाँ थ्रेसीमेकस कहना चाहता है कि जो जितना शक्तिशाली है वो न्याय को उतना ही अपने पक्ष मे ंकर लेता है। अगर कोई कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली का विरोध करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा इसलिए इसमें ही भलाई है कि शक्तिशाली की आज्ञा का पालन किया जाए। समाज में रहने वाले व्यक्ति की इच्छा शासक वर्ग के दिशानिर्देशों में ही होनी चाहिए। शसक वर्ग गलत है या सही है इस पर विचार करना शासित वर्ग के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। यहाँ तक कि अगर शासक वर्ग अन्याय करता है तो वो भी न्याय ही है जो उस अन्याय को उचित मानेगा वो ज्यादा फायदे में रहेगा और जो सिद्धांतों पर चलेगा वो पिछड़ जाएगा। वो उदाहरण देता है कि सरकारी पदों पर सत्तारुढ़ होने वाले अन्यायी व्यक्ति बहुत लाभ उठाते हैं जबकि न्यायी व्यक्ति तो खुद भी लाभ नहीं उठाते और अपने मित्रों को भी नाराज कर देते हैं क्योंकि वो किसी को भी अनुचित अन्यायपूर्ण लाभ नहीं देते।[9] इस प्रकार थ्रेसीमेकस अपनी उग्रवादी न्याय की व्याख्या के माध्यम से समाज की काफी हद तक की सच्चाई को दर्शाते हैं लेकिन प्लेटो उनके इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि शासक और शासित का

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

उद्देश्य एक ही है और वो है सम्पूर्ण समाज का भला फिर न्याय शासक वर्ग का हित कैसे हो सकता है। प्लेटो यह भी कहते हैं कि न्यायी व्यक्ति अधिक समझदार है क्योंकि वो अपने सिद्धांत के द्वारा अच्छे जीवन के गुणों से परिपूर्ण है। उस समय प्रचलित न्याय का तीसरा सिद्धांत था ग्लूकोन का यथार्थवादी सिद्धांत। ग्लूकोन कहता है की न्याय कमजोर का हित है और ये भय का शिशु है (Justice is the interest of the weaker. It is child of fear)[10] ग्लूकोन न्याय को निर्बल व्यक्तियों की देन मानता है। उसका मानना है कि कमजोर ने अपनी आव यकता के रूप में न्याय की धारणा को स्थापित किया ताकि उन पर कोई शक्तिशाली अन्याय न कर सके। ग्लूकोन का विचार थ्रेसीमेकस के विचार से बिल्कुल विपरीत विचार है। लेकिन प्लेटो इस विचार का भी खंडन करते हुए मानते हैं कि न्याय कोई ऐसी कृत्रिम वस्तु नहीं हो सकती जो किसी के द्वारा उत्पन्न की जा सके। प्लेटो की धारणा में न्याय तो मनुश्य की आत्मा का अनिवार्य गुण है। प्लेटो का मानना है कि उसमें पहले के विचारक न्याय को बाहरी वस्तु मानकर उसे एक के द्वारा दूसरे पर लादने का काम करना है जबकि न्याय अर्न्तमन से आने वाले विचार हैं इस विचार को क्रियान्वयन से ही न्यायिक व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है। प्लेटो का कहना है कि "न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक माँग है।"[11] प्लेटो मानता है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य व्यक्ति से विस्तृत है इसलिए राज्य न्याय के उस विस्तृत रूप को ही दर्शाता है जो व्यक्ति के अंदर संक्षिप्त रूप में पहले से ही विद्यमान है।

प्लेटो का मानना है कि जो भाव, गुण, क्षमता व्यक्ति के अन्दर अल्प मात्रा में है वो ही गुण, भाव व क्षमता राज्य व समाज के अन्दर विराट रूप में निहित होती है। व्यक्तियों की चेतना राज्य की चेतना का निर्माण करती है। सही मायने में राज्य व्यक्ति का ही विस्तृत रूप है। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप हैं व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। वो कहता है कि व्यक्तिगत न्याय ही सामाजिक न्याय का आधार बनता है। प्लेटो का मानना है कि व्यक्तिगत आत्मा के तीन महत्त्वपूर्ण व नैसर्गिक तत्त्व हैं (1) तृष्णा (2) साहस या भौर्य (3) बुद्धि या ज्ञान ((i) Appetite, (ii) Spirit, (iii) Wisdom) ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में रहते हैं तब शरीर के साथ न्याय होता है। ठीक वैसे ही जब समाज या राज्य के अन्दर रहने वाले लोगों में ये तीनों गुण उचित अनुपात में हों और सभी वर्ग उन गुणों के अनुसार कार्य करें तो समाज या राज्य में न्याय की स्थापना होती है।[12] ये तीन तत्त्व भूख, साहस और विवेक प्लेटो के न्याय के दर्शन के आधारभूत तत्त्व हैं और इन्हीं के आधार पर वो न्यायिक राज्य की स्थापना करना चाहता है। प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही विशाल रूप है। राज्य उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनके यहाँ निवास करते हैं। वो कहता है कि व्यक्ति के तीन गुणों इच्छा–वासना, साहस और बुद्धि की तरह ही राज्य में तीन तत्त्वों आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक तत्त्वों का

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

होना अत्यंत जरूरी है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के अन्दर अगर इच्छा या तृष्णा होगी तो जो शारीरिक कार्य करेगा, कोई रोजगार करेगा जो जीवन–यापन के लिए जरूरी है व धन कमाएगा जो राष्ट्र के विकास में भी सहयोगी होगा। क्योंकि राज्य में एक साहसी योद्धा या सैनिक वर्ग व चिन्तनशील विवेकपूर्ण वर्ग के लिए भी जरूरी है कि राज्य के पास उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो ताकि इन वर्गों की जरूरतें पूरी की जा सकें। इन परिस्थितियों में समाज के उत्पादन वर्ग की आव यकता अत्यंत जरूरी है। ठीक इसी प्रकार राज्य व समाज की रक्षा के लिए सैनिक वर्ग भी बहुत जरूरी है जो राज्य की सुरक्षा के साथ–साथ साहस का भी प्रतिनिधित्व करता है। मानव स्वभाग के हिंसक पहलू को नियंत्रित करने व अपने राष्ट्र तथा समाज की रक्षा के लिए अपने साहसी स्वभाव को भी जागृत करना जरूरी है। कोई भी राज्य इस साहसी तत्त्व का प्रतिनिधित्व करने वाले योद्धा वर्ग के बगैर अपने को सुरक्षित नहीं रख सकता इसलिए ये साहसी वर्ग भी राज्य के लिए अत्यंत जरूरी है। राज्य में तीसरा वर्ग विवेकपूर्ण चिन्तनशील ज्ञानी वर्ग है जो राज्य को सही रास्ता दिखाता है। अगर राज्य का मार्गदर्शन ठीक होगा तो वो उचित रास्ते पर चलते हुए विकास के पथ पर अग्रसर होगा। किसी भी समाज के लिए जरूरी है कि उस समाज का विवेकपूर्ण ज्ञानी वर्ग उसे उचित रास्ता दिखाता रहे और बाकी समाज उसी नियंत्रण व दिशा निर्देशन में कार्य करता रहे। इस प्रकार प्लेटो कहता है कि समाज या राज्य में अगर ये तीनों वर्ग यानि उत्पादक, रक्षक और मार्गदर्शक अपनी–अपनी उचित भूमिका निभाएंगे व एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर रखेंगे तथा एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो समाज में न्याय बना रहेगा। जहाँ भी कोई वर्ग अपने कर्त्तव्यों से अलग होगा वहीं न्याय टूट जाएगा इसलिए इन तीनों वर्गों का अपने–अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते रहने में ही न्याय की स्थापना रहेगी।

जब उत्पादक वर्ग के उत्पादन को साहसी सैनिक वर्ग के द्वारा सुरक्षा दी जाती है और सैनिक वर्ग को विद्ववान व विवेकपूर्ण वर्ग के द्वारा नियंत्रण मिलता है तो एक सुरक्षात्मक संतुलन स्थापित होता है जो कि समाज के सर्वांगीण विकास के साथ–साथ स्थाई न्यायपूर्ण स्थिति के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। प्लेटो के अनुसार ये समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपनी–अपनी क्षमता और अन्तर्निहित गुणों के माध्यम से समाज में स्वभाविक सहयोग के साथ कार्य करना न्याय है और वो समाज एक न्यायपूर्ण समाज है। प्लेटो का मानना है कि ये सामाजिक न्याय वास्तव में व्यक्तिगत न्याय का ही विस्तृत रूप है। एक व्यक्ति जब अपने अन्तर्निहित गुणों में उचित तालमेल बिठाता है तो वो अपने साथ न्याय कर रहा होता है। जब व्यक्ति की भूख वाला तत्त्व और साहस वाला तत्त्व यानि की उसका पेट और उसकी भुजाएं उसके मस्तिष्क अर्थात् उसकी इच्छाएं व उसका साहस उसके विवेक के नियंत्रण में रहता है तो उसमें शरीर के साथ या यूँ कहें कि उसके स्वयं के साथ न्याय स्थापित होता है। ठीक वैसे ही समाज या राज्य रूपी शरीर के साथ न्याय स्थापित होने के लिए जरूरी है

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

कि उसके अलग–अलग तत्त्व विवेकपूर्ण व्यवस्था के नियंत्रण में रहें। प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत को कठोर बंधनों में नहीं बाँधता बल्कि उसके लचीलेपन के साथ वर्ग बदलने के विचार का भी समर्थन करता है। प्लेटो जब कहता है कि लोहे, पीतल के इंसानों को सोने का इंसान बनाया जा सकता है तो वो वर्ग बदलने की छूट दे रहा होता है। प्लेटो अपने सिद्धांतों के माध्यम से महिला पुरुषों में भी समानता स्थापित करने का प्रयास करता है ताकि सभी को न्याय की धारणा में शामिल किया जा सके। प्लेटो कहता है कि एक कुतिया एक कुत्ते से कम नहीं होती अपने मालिक की रक्षा करने में। प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी पुरुष व महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार वो सभी के गुणों का राज्य के लिए उपयोग करना चाहता है और सम्पूर्ण समाज में सम्पूर्ण न्याय की स्थापना करना चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का न्याय इन तीन गुणों का समावेश है इन्द्रिय तृष्णा, साहस व बुद्धि। राज्य का उत्पादक वर्ग इन्द्रिय तृष्णा को, योद्धा वर्ग भौर्य भी व शासक वर्ग बुद्धि को अभिव्यक्त करते हैं। ये न्याय का सिद्धांत एक नैतिक सिद्धांत है जो संवैधानिक कर्त्तव्यों से ज्यादा स्वभाविक कर्त्तव्यों पर बल देता है। न्याय जीवन का आन्तरिक तत्त्व है जो अन्तःकरण की स्वभाविक भावनाओं पर आधारित है जो मनुश्य की स्वभाविक कार्य विशिष्टता पर टिका हुआ है। इस सिद्धांत में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के लिए जगह नहीं है हालांकि कोई भी अपनी योग्यता अर्जित करके अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकता है वैसे ये एक प्रकार के सावयवी सिद्धांत का समर्थन करता है जो समाज को व्यक्ति की तरह ही एक सजीव अस्तित्व मानता है और उसमें व्यक्ति की तरह ही एक जीवन देखता है जिसमें सभी अंग अपना–अपना कार्य कर रहे हैं हालांकि कार्यों में निपुणता के आधार पर बदलाव की गुंजाइश भी प्रदान करता है।

प्लेटो के न्याय सिद्धांत को वर्तमान न्याय के साथ तुलना हम करें तो हम ये पाते हैं कि प्लेटो की न्याय की धारणा न्याय की वर्तमान कानूनी धारणा से बिल्कुल अलग है। ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को सीमित करती है और आधुनिक प्रजातांत्रिक न्यायिक व्यवस्था के विपरीत दिखाई देती है। इसमें वर्तमान दण्ड व्यवस्था जैसा भी कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में ये एक व्यावहारिक रूप की जगह दार्शनिक रूप रखती है जो वर्तमान में जो है उसको महत्त्व न देकर क्या होना चाहिए इस बात पर बल देती है।

संदर्भ –

1. डॉ. वी.एल. फडिया और डॉ. कुलदीप फडिया, प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक हाऊस, जयपुर, 2007, पृ, 19
2. वही, पृ. 20
3. बार्कर, ग्रीक पालिटिकल थ्योरी, लंदन, 1752, पृ. 153
4. फडिया, पृ. 20

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

5. बार्कर, पृ. 179
6. ज्योतिप्रसाद सुदा, ए हिस्ट्री ऑफ पालिटिकल थोट, के साथ एण्ड कंपनी, मेरठ, 1997–98, पृ. 43
7. फडिया, पृ. 21
8. ज्योतिप्रसाद सुदा, पृ. 43
9. फडिया, पृ. 22
10. ज्योतिप्रसाद सुदा, पृ. 47
11. फडिया, पृ. 23
12. वही, पृ. 24